

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

सेवा में

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 28/11/26

विषय- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 29,73,47,307/- (उनतीस करोड़ तिहत्तर लाख सैंतालीस हजार तीन सौ सात रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणानुसार कुल ₹ 29,73,47,307/- (उनतीस करोड़ तिहत्तर लाख सैंतालीस हजार तीन सौ सात रूपए) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, कटिहार	29428	Construction of 520 Bedded Capable One other Backward Class Girls Residential+2 High School Building at Korha Block in Katihar Dist	74 / 11.07.23	₹12,98,96,450/- (बारह करोड़ अठानवे लाख छियानवे हजार चार सौ पचास रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, गोपालगंज	29172	गोपालगंज जिला में 520 आसन वाले एक पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय भवन का निर्माण	76 / 27.09.22	₹16,74,50,857/- (सोलह करोड़ चौहत्तर लाख पचास हजार आठ सौ संतावन रूपये)
योग:-					₹29,73,47,307 /-

(उनतीस करोड़ तिहत्तर लाख सैंतालीस हजार तीन सौ सात रूपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0118-पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण कार्य कोड-03-4059800510118 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0118.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)  
सरकार के अपर सचिव।